न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां R.T.S.

मिसल नं. ::: 12/2018

सरकार बनाम रामकिशन पुत्र छाजूराम, जाति–मेघवाल, निवासी– चीमा का बास

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 25.01.2018

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल रामकिशन पुत्र छाजूराम, जाति–मेघवाल, निवासी– चीमा का बास द्वारा रोही मौजा चीमा का बास की राजकीय भूमि ख.नं. 150 कुल रकबा 0.54 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.02 है0 भूमि पर मकान बनाकर एवं पत्थर डालकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि उसने ख.नं. 150 पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही कर रखा। उसने ख.नं. 135 खातेदारी भूमि में मकान बना रखा है, जो करीब 30 वर्ष पूर्व बनाया गया है। गैर सायल की ओर से अन्य कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही किया गया। गैर सायल का जवाब संतोषजनक नही माना जाता सकता। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 6 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 48 पर
वर्ष 2017-18 में रुपये 6/- कायम कि.।
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़